न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 89/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/108

नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र गंगाराम जाति वाल्मिकी निवासी वार्ड नं. 32, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री बहादुरराम सुथार — अभिभाषक अपीलांट
इकतरफा कार्यवाही — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1

निर्णय

दिनांक 11.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.11.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 243/15 की तादादी तादादी 6.325 हैक्टेयर बारानी भूमि है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व. गंगाराम को टीसी आवंटित भूमि है। अपीलांट के पिता का देहान्त दिनांक 20.12.1976 को हो गया था। उक्त आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 07.09.2006 के विरूद्ध अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— अभिभाषक अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बहादुर राम सुथार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2021 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जैर अपील रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 243/15 की तादादी 6.325 हैक्टेयर बारानी भूमि है, जो पूर्व में रेस्पो. सं. 1 के पिता को टी.सी. आवंटन था, जिसका सम्वत् 2043 से कभी भी नवीनीकरण नहीं हुआ है। रेस्पोडेंट सं. 1 ने सन् 1986 से लेकर 2006 तक टी.सी. नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। इसकारण से रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेशों के मुताबिक कस्बा सूरतगढ़ के पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण खारिज किया जाकर नगरपालिका सूरतगढ़ को वर्ष 2006 में सौंप दिया गया। जैर आदेश अपील अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष बाद पेश हुई, जिसे बिना किसी संतोष जनक कारण मियाद माफ कर दिया गया। वादगत रकबा नगर पालिका की 2 किमी की परिधि में आ चुका है, जहां न तो खातेदारी मिल सकती है और न ही टी.सी. आवंटन नवीनीकरण किया जा सकता है। वादगत रकबा का स्वामित्व/कब्जा अपीलांट के पास है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिपोर्ट मंगाए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। आदेश जैर अपील 10 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई, जो मियाद बाहर थी। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी जब हुई जब अपीलांट के कर्मचारी वादगत भूमि पर विकास कार्य कर रहे थे। अपीलाधीन रकबा अपीलांट को दिनांक 07.09.2006 को हस्तांतरित हो चुका है। रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार ही नहीं बनाया। तदुपरांत अपीलांट को जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बना। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1992 पेज नंबर 431,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आर.आर.टी. 2018 पेज नंबर 364 व आर.बी.जे. 1999 पेज नंबर 214 को अवलोकनीय बताया है।

4— रेस्पोडेंट संख्या 1 को न्यायालय द्वारा जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया किन्तु इसके बावजूद न तो रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित हुए और न ही इनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। अतः इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.10.2024 द्वारा इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित कर रेस्पो. सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 07.09.2006 को निरस्त कर दिया। जैर आदेश अपील अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर पेश हुई थी। अधीनस्थ न्याय़ालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

6— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रांवली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर